TAAL
ताल
टुवर्ड्स एक्शन एण्ड लर्निंग

औरतों के हक़ और मुस्लिम कानून

औरतों के हक़
और
मुस्लिम कानून

अपनी बात

समाज में औरतों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए यह जरूरी है, कि उनको आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक रूप से मजबूत बनाया जाए। कोई भी समाज तब तक खुशहाल और बराबरी का नहीं बन सकता, जब तक कि उसमें औरतों को बराबरी का मुकाम हासिल न हो। औरतें अपने विकास के लिए खुद कदम उठा सके और बढ़ा सकें। आगे बढ़ने के लिए अपने हक़ो और जिम्मदारियों को जानना व समझना बहुत जरूरी है। आम औरतों, जिनको पढ़ने-लिखने का मौका बहुत कम मिला है। उन्हें अपने कानूनी हक़ो के बारे में मालूमात हासिल करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही कई बार जो मालूमात हासिल होती भी है, तो वे आधी-अधूरी होती है। जिस कारण किसी कानूनी मसले में औरतों को फैसला लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर वे आधी-अधूरी मालूमात के आधार पर फैसला लेती भी है,तो इससे उनको पूरा हक़ नहीं मिल पाता है।

इसी बात को ज़ेहन में रखते हुए इस किताब को तैयार किया गया है। इस किताब में मुस्लिम कानूनों की खास-खास बातों को आसान ज़बान में लिखने की कोशिश की गई। जिससे जरूरतमंद लोग कानून का इस्तेमाल अपने हक़ को पाने के लिए कर सकें। इससे एक नागरिक होने के नाते औरतों की समाज में हिस्सेदारी और मुकाम को बेहतर बनाने में मदद की जा सकें। हम उम्मीद करते है, कि इस किताब में दी गई कानूनी जानकारियां आपके लिए मददगार साबित होगीं। इस किताब को और बेहतर बनाने के लिए आपकी सलाह और मशविरा हमें जरूर भेजें।

विषय वस्तु

क्र.	विषय वस्तु	पेज न.
	भूमिका	00
1	मुस्लिम पर्सनल लॉ को लागू करने के लिए बनाएं गए कानून	00
2	निकाह	00
3	मेहर	00
4	तलाक	00
5	तलाक के बाद बच्चों की देखभाल	00
6	मुस्लिम सम्पत्ति एवं उत्तराधिकार	00
7	वसीयत	00
8	दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961	00
9	विशेष विवाह अधिनियम 1954	00
10	मुस्लिम उत्तराधिकार कानून में याद करने योग्य बातें	00

भूमिका

दुनिया में अनेक मजहब है,जो हमारे जीवन पर गहरा असर डालते हैं। इनका असर सिर्फ उन्हें मानने वाले लोगों के रीति रिवाजो और परिवारों तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि समाज को चलाने वाले नियम और कायदे भी धर्म के जरिए बनाए गए है। पुराने जमाने में समाज के ज्यादातर फैसले जैसे मुल्जिमों को सजा देना,शादी,तलाक़,विरासत का अधिकार और वारिस आदि धर्मों में बनाएं गए नियम कायदों के अनुसार ही किए जाते थे। लेकिन जैसे-जैसे जम्हूरियत का दौर शुरू हुआ वैसे-वैसे इन नियम कायदों में बदलाव होता गया। अपराधियों को सज़ा देने के लिए अदालत और न्याय के उसूल बनाएं गए। धर्मो द्वारा चलाए गए कुछ नियम ऐसे थे जिनसे लोगों के मानवाधिकार या जीवन जीने के अधिकार का हनन होता था। उन्हें सरकार द्वारा अमान्य कर दिया गया। लेकिन समाज को चलाने वाले कई नियम कायदे जैसे शादी,तलाक़,विरासत का अधिकार, वारिस और गोद लेने का आदि धर्म में बनाएं गए नियमों पर ही चलते रहे। इन नियम कायदों को संविधान और कानून द्वारा मान्यता दी गई। इस प्रकार मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए इन नियम कायदों को मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिन्दू धर्म मानने वालों के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 और ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों के लिए ईसाई विवाह अधिनियम 1872 को कानूनी शक्ल दी गई।

भारत में मुस्लिम पर्सलन लॉ की शुरूआत

भारत में धर्म के अनुसार जो नियम बनाएं गए उनको अंग्रेजों के जमाने में कानूनी शक्ल दी गई। 1772 में वायसराय वार्न हैंग्सिटन ने यह व्यवस्था बनाई कि शादी,जाति और दूसरे मजहबी रिवाज़ों संबंधी मामलों में मुस्लमानों के लिए के कुरआन के बनाएं उसूल और हिंदूओं के लिए शास्त्रों के अनुसार फैसला लिया जाएगा। ऐसा कानून बनाने का मकसद यह था, कि लोग अपने पुराने चले आ रहे रिवाज़ों और नियमों के अनुसार रहे। धार्मिक उसूलों के आधार पर फैसला करने के लिए उस वक्त के न्यायाधीशों, काज़ियों, आलिमों और पंडितों को मुकर्रर किया गया। इस तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ की शुरूआत हुई। इसे कुछ खास विषयों जैसे शादी, तलाक,जाति, वारिस और संपत्ति के अधिकार तक सीमित रखा गया।

मुस्लिम पर्सनल लॉ को लागू करने के लिए बनाए गए कानून

1

भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ के संदर्भ में कई कानून पारित किए गए जो इस प्रकार है–

काज़ी एक्ट 1880

इस कानून के तहत् काज़ी के दो मुख्य काम है–

1 निकाह करवाना– निकाह करवाने के बाद हर शादी का रजीस्ट्रेशन करना जरूरी है।

2 विभिन्न धार्मिक संस्कारों को करवाना

मुस्लिम विधि शरीयत अधिनियम 1937

यह अधिनियम भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ को लागू करने वाला महत्वपूर्ण कानून है। 1937 में यह अधिनियम पारित होने के बाद इस कानून के अनुसार फैसलें किए जाने लगे। अंग्रेजो के समय जो धर्म पर आधारित अलग अलग कानून थे, वह सभी कानून खत्म कर दिए गए। 1937 के मुस्लिम विधि शरीयत अधिनियम 1937 की धारा 2 और 3 के अनुसार इस अधिनियम में निकाह, तलाक,मेहर, भरण–पोषण,हिबा, ट्रस्ट, ट्रस्ट की संपत्ति,वक़्फ, दत्तक ग्रहण और वसीयत संबंधी मामले शामिल है।

मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939

किसी मुस्लिम महिला द्वारा मुस्लिम कानून के तहत् की गई शादी के टूटने पर, महिला के हक़ और तलाक़ से जुड़े मसलों पर इस कानून के तहत् प्रावधान किए गए है। जिससे तलाक के मामले में फैसले लेने में आसानी हो सके।

1.4 मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986

तलाक में महिला के साथ नाइंसाफी न हो इसके लिए भारत सरकार द्वारा 1986 में एक कानून बनाया गया, जिसे ''मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम'' कहा जाता है। इस कानून के अनुसार तलाक के बारे में न्यायालय में दावा लगाया जा सकता है और न्यायालय द्वारा सुनवाई कर तलाक के बारे में फैसला दिया जाएगा। इसके लिए मुस्लिम महिला द्वारा न्यायालय में दरख़ास्त की जा सकती है। उस दरख़ास्त पर अदालत तलाक के कारणों पर विचार करेगी और दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद फैसला देगी।

निकाह (शादी) 2

निकाह कराने का तरीके: –

बगैर काजियत के निकाह

मुस्लिम विधि में निकाह एक कॉन्ट्रेक्ट या अनुबन्ध है, जिसके जरीए बीवी और शौहर के हूकूक और फराइज़ की शुरूआत होती है। निकाह के वक्त कुरआनी आयत पढ़ी जाती है, जिसे खुतबा कहते है। इन आयतों को कोई भी जिसे यह पढ़ना आती है, पढ़कर निकाह पढ़ा सकता है। काजी और मुल्ला की जरूरत नहीं पड़ती है। लिखित और ज़बानी दोनों तरह के निकाह जायज़ है।

कज़ियात में निकाह कराने का तरीका

काजी अधिनियम में प्रावधान है कि हर जिले में एक काजी होगा। वह उस जिले से संबंधित निकाह व तलाक या मुस्लिम पति–पत्नी के रिश्तों से जुड़ी समस्याएं सुनेगा और हल करेगा। यदि निकाह कराने के लिए आप अपने शहर काजी को आवेदन करते है तो उसे काजी देखेगें और लड़की व लड़के के माता–पिता, या कोई और व्यक्ति जो लड़की व लड़के के सरपरस्त (अभिभावक) हो, से निकाह संबंधी पूछताछ करने और लड़की व लड़के की मर्जी होने के बाद अपनी हाजिरी में निकाह करवा सकते है। काजी के पास निकाह को दर्ज करने की किताब होती है, जिसमें निकाह के बाद वो दुल्हा–दुल्हन के दस्तखत(हस्ताक्षर) करवाते हैं।

निकाह के लिए दोनों पक्षों की रजामंदी जरूरी है

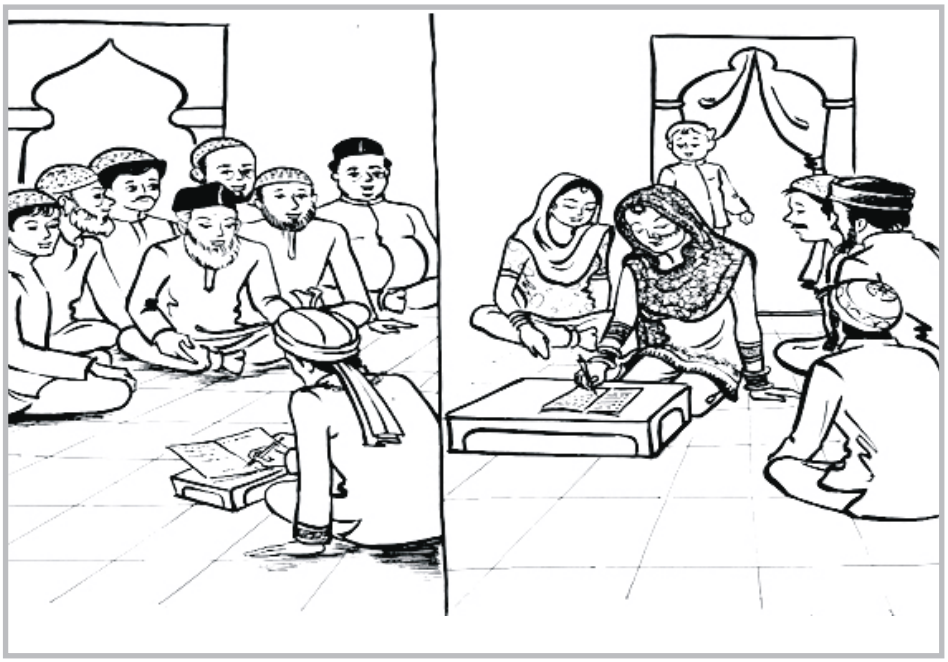

निकाह के लिए यह जरूरी है, कि लड़के वालों की ओर से लड़की को निकाह का पैगाम (संदेश) भेजे। जब लड़की वाले इस पैगाम को मंजूर कर लें, तो काजी के सामने दोनों अपनी रजामंदी (सहमति) देकर निकाह कर सकते हैं। निकाह का पैगाम लिखित या मौखिक को भी भेजा सकता है। निकाह लड़की और लड़के के द्वारा अपने रिश्तेदार या वकीलों की हाजिरी में किया जा सकता है। निकाह का एक ही बैठक में पूरा होना जरूरी है। यदि निकाह का प्रस्ताव एक बैठक में हुआ और

उसको दूसरी बैठक में कुबूल किया हो, तो इस प्रकार का निकाह जायज नहीं माना जाएगा (नियम 53)। निकाह के समय ली जाने वाली रजामंदी बिना किसी दबाव के होनी चाहिए। धोखे, परेशान करके और डरा–धमकाकर करवाए गए निकाह को अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

निकाह में शर्ते

इस्लाम में निकाह करने के पहले लड़की को अपनी शर्तें रखने के लिए आजाद है। शर्तें पूरी होने पर लड़की को शादी करने से इंकार करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन व्यवहारिक रूप से लड़कियां निकाह के पहले शर्ते नहीं रखती है।

निकाह के वक़्त गवाह जरूरी है

निकाह के वक़्त दो गवाह व एक वकील जिसे निकाही बाप बोलते है, का होना जरूरी होता है। निकाह के वक़्त पैगाम व कबूलियत (स्वीकारोक्ति) दो ऐसे पुरूष या एक पुरूष और दो महिला गवाहों की हाज़िर में होना जरूरी है। जो दिमागी रूप से दुरूस्त हो, बालिग हो और मुसलमान हो। गवाह के बगैर किया गया निकाह, निकाह नहीं माना जाता है।

निकाह के लिए उम्र

शरीयत में लड़के–लड़कियों के निकाह की उम्र 12 से 15 वर्ष तक मानी गई है। ''बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006'' के अनुसार विवाह के लिए लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष तथा लड़की उम्र कम से कम 18 वर्ष होना आवश्यक है। नाबालिगों की शादी की शिकायत करने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत् दो साल की कैद या एक लाख का जुर्माना या कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है। साथ ही अदालत ऐसी शादी को सिफर (शून्य) ठहरा सकती है।

निकाहनामा

निकाह के बाद काजी दुल्हा–दुल्हन या उनके मा–बाप को उर्दू में लिखी एक रसीद देगा। इस रसीद पर दुल्हा–दुल्हन के नाम के साथ उनके पते, वल्दियत, निकाह की तारीख और मेहर की रकम का उल्लेख होता है। इस रसीद को निकाह की रसीद कहते है। निकाहनामा पाने के लिए काजी को इस रसीद के साथ एक आवेदन देकर हिन्दी, उर्दू या इंग्लिश में निकाहनामा निकाला जा सकता है। निकाहनामा, निकाह के लिए दुल्हा–दुल्हन द्वारा लिखित में दी गई रजामंदी होता है। जिसे कोई विवाद होने पर अदालत में कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। (नियम 52)

एक से ज्यादा निकाह

इस्लाम में आदमी को चार निकाह करने की इजाज़त है। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है, कि आदमी अपनी सभी

बीवियों के साथ इंसाफ का सुलूक कर सकें। क्योंकि यह नामुमकिन है, कि वो अपनी सभी बीवियों के साथ बराबरी और इंसाफ का सुलूक कर सकें। इसलिए उसे एक से ज्यादा शादी करने से बचना चाहिए (सूरह अल निसा)। मुस्लिम औरत एक शौहर के जिंदा रहते या तलाक के बाद इद्दत (देखें 4.3) का वक़्त पूरा करने के पहले दूसरा निकाह नहीं कर सकती है।

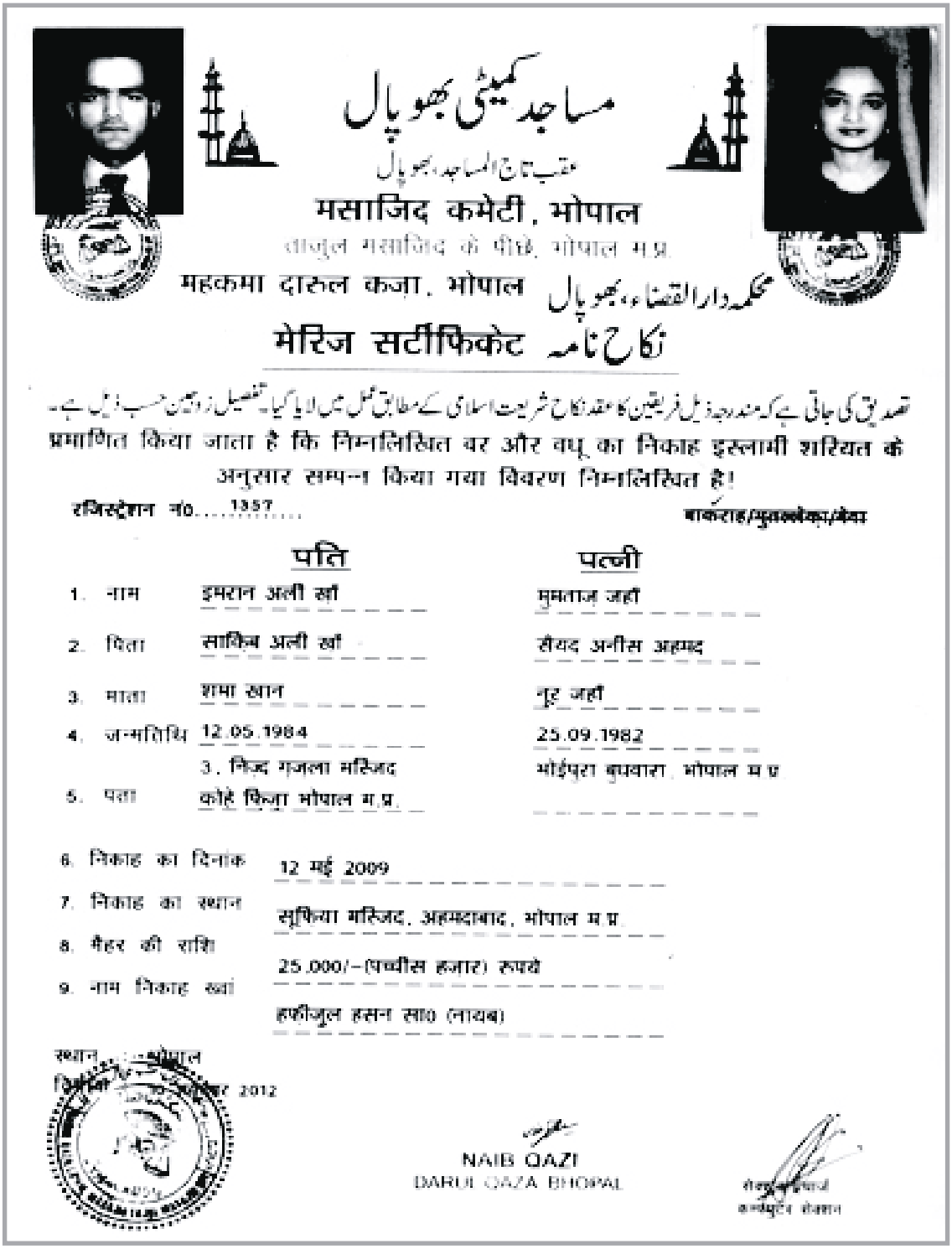

مساجد کمیٹی بھوپال
عقب تاج المساجد بھوپال
मसाजिद कमेटी, भोपाल
ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल म.प्र.
महकमा दारुल कज़ा, भोपाल محکمہ دار القضاء بھوپال
मेरिज सर्टीफिकेट نکاح نامہ

تصدیق کی جاتی ہے کہ مندرجہ ذیل فریقین کا عقد نکاح شریعت اسلامی کے مطابق عمل میں لایا گیا۔ تفصیل زوجین حسب ذیل ہے۔

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित वर और वधू का निकाह इस्लामी शरियत के अनुसार सम्पन्न किया गया विवरण निम्नलिखित है!

रजिस्ट्रेशन नं0....1357.....

बाकराह/मुतल्लका/बेवा

		पति	पत्नी
1.	नाम	इमरान अली खाँ	मुमताज़ जहाँ
2.	पिता	साकिब अली खाँ	सैयद अनीस अहमद
3.	माता	शमा खान	नूर जहाँ
4.	जन्मतिथि	12.05.1984	25.09.1982
5.	पता	3. निज़्द गजला मस्जिद कोहे फ़िज़ा भोपाल म.प्र.	मोईपुरा बुधवारा, भोपाल म.प्र.

6. निकाह का दिनांक 12 मई 2009

7. निकाह का स्थान सूफिया मस्जिद, अहमदाबाद, भोपाल म.प्र.

8. मैहर की राशि 25,000/-(पच्चीस हजार) रुपये

9. नाम निकाह ख्वां हफीजुल हसन सा0 (नायब)

स्थान :- भोपाल
दिनांक [illegible] 2012

NAIB QAZI
DARUL QAZA BHOPAL

[illegible]
कम्प्यूटर सेक्शन

हिन्दी में निकाहनामा

مساجد کمیٹی بھوپال

عقب تاج المساجد، بھوپال

मसाजिद कमेटी, भोपाल

ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल म.प्र.

महकमा दारूल कज़ा, भोपाल محکمہ دار القضاء، بھوپال

मेरिज सर्टीफिकेट نکاح نامہ

تصدیق کی جاتی ہے کہ مندرجہ ذیل فریقین کا عقد نکاح شریعت اسلامی کے مطابق عمل میں لایا گیا۔ تفصیل زوجین حسب ذیل ہے۔

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित वर और वधू का निकाह इस्लामी शरियत के अनुसार सम्पन्न किया गया विवरण निम्नलिखित है!

رجسٹریشن نمبر ١٣٨٧

باکرہ/~~مطلقہ~~/~~بیوہ~~

	زوج	زوجہ
١. نام	عمران علی خاں	ممتاز جہاں
٢. والد	ثاقب علی خاں	سید انیس احمد
٣. والدہ	شمع خان	نور جہاں
٤. سن پیدائش	١٢ مئی ١٩٨٣ء	٢٥ ستمبر ١٩٨٢ء
٥. مکمل پتہ	٣، غزالی مسجد، کوہ فضاء، بھوپال ایم. پی.	بھوئی پورہ بدھوارہ، بھوپال ایم. پی.

٦. تاریخ انعقاد نکاح: ١٢ر مئی ٢٠٠٩ء

٧. مقام نکاح: صوفیہ مسجد احمد آباد، بھوپال

٨. زر مہر: -/٢٥،٠٠٠ روپے

٩. نام نکاح خواں: حفیظ الحسن صاحب (نائب)

مقام : بھوپال

مورخہ : ١٠ر اکتوبر ٢٠١٢ء

قاضی

دار القضاء بھوپال

उर्दू में निकाहनामा

जिनसे निकाह नहीं किया जा सकता

- अपनी मां, सास, दादी, नानी, या बाप, ससुर, दादा, और नाना से।
- अपनी बेटी, बहू, पोती, नवासी या बेटे, दामाद, पोते और नवासे से।
- अपनी भांजी, भतीजी या भांजे और भतीजे से।
- अपने खाला, फूफी या चाचा और मामा से।
- अपने सगे, सौतेले और दूध (जिन्होने एक मां का दूध पीया हो) भाई या बहन से।

हालात जिनमें निकाह ज़ायज नहीं है

- अगर निकाह गवाहों के बिना हुआ हो।
- अगर इद्दत के दौरान निकाह किया गया हो।
- अगर ही समय में दो बहनो से निकाह किया गया हो।
- किसी महिला का एक शौहर होते हुए उस महिला द्वारा दूसरा निकाह किया गया हो।
- किसी पुरूष की चार पत्नी होने के बाद भी पांचवीं पत्नी से निकाह किया गया हो।
- जोरजबरदस्ती या दबाव डालकर निकाह किया गया हो।
- अगर निकाह के समय लड़के या लड़की में से कोई भी एक या दोनो पागल या दिमागी हालत दुरूस्त न हो।
- यदि निकाह या विवाह एक ही बैठक में संपन्न ना हुआ हो।

मेहर 3

मेहर बीवी का हक़ और शौहर का फर्ज़ है

निकाह के समय मेहर एक आवश्यक शर्त है, मेहर पाना पत्नी का हक है। मुस्लिम कानून में मेहर वो संपत्ति होती है, जिसकी कोई कीमत हो। पति का फर्ज़ है कि वो अपनी बीवी को मेहर अदा करे। मेहर मुस्लिम महिला की नीजि संपत्ति है। पत्नी चाहे तो कानूनी तौर पर भी मेहर की मांग कर सकती है।

पति मेहर की रकम पत्नी को देने के लिए पाबंद है। भले ही वह यह रकम निकाह के समय दे या निकाह के बाद या जब भी बीवी मेहर की मांग करे तब शौहर को मेहर अदा करना जरूरी है। पत्नी अपने पति से मेहर की राशि पाने की हकदार है। जिसे मुस्लिम विधि में मेहर–ए–मसाइल कहा जाता है। (नियम 78 एवं 79)

मेहर में दी जाने वाली चीज़े

मेहर शादी के वक़्त दुल्हा–दुल्हन या उनके वालिद या सरपरस्त तय करते है। शौहर मेहर के रूप में शादी के पहले या शादी के वक्त तय कि गई रकम या जायदाद अपनी बीवी को देता है। मेहर के रूप में नकदी, जमीन–जायदाद, घर, दुकान, गहने या दोनों पक्षों के बीच जो भी तय हुआ हो, ऐसी वस्तु दी जा सकती है। मेहर के बदले कोई समझौता भी किया जा सकता है जैसे सलाना कुछ रूपए देने का तय किया जा सकता है। मेहर बीवी को आगे की जिंदगी के लिए हिफाजत भी देता है। अगर शौहर मेहर अदा करने से इंकार करे तो, बीवी मेहर पाने के लिए अदालत में दावा कर सकती है।

मेहर देने के तरीके

मुअज्जल मेहर : शौहर द्वारा निकाह के वक़्त या निकाह के बाद अदा किए गए मेहर को मुअज्जल कहते हैं।

मुवज्जल मेहर : तलाक या शौहर के इंतकाल होने पर अदा किए गए मेहर को मुवज्जल कहते हैं। अगर मेहर अदा किए बिना शौहर का इंतकाल हो जाए, तो जायदाद के बंटवारा होने के पहले मरहूम की जायदाद में से उसकी बीवी को मेहर दिया जाता है। इसके बाद ही वारिसों (उत्तराधिकारी) में बाकि जायदाद का बंटवारा होता है।

मेहर माफ करना

यदि पत्नी चाहे तो अपने पति को मेहर की राशि देने के लिए माफ कर सकती है, इस प्रकार से पति का पत्नी को कोई भी मेहर देने का दायित्व समाप्त हो जाता है। लेकिन मेहर माफ के लिए बीवी पर कोई दबाव या उस पर कोई शर्त नहीं लगाना चाहिए।

तलाक 4

मुस्लिम विधि शरीयत अधिनियम 1937 के नियम 105 के अनुसार पति अपनी पत्नी को एक तरफा तलाक दे सकता है। नियम 107 के अनुसार तलाक मौखिक, या लिखित रूप से या इशारों के द्वारा भी दिया जा सकता है। लिखित रूप से दि गए तलाक के दस्तावेज को तलाकनामा कहते है। किन्तु तलाक देते समय वह दिमागी रूप से तंदुरूस्त होना चाहिए। हंसी मजाक या नशे की हालत में दिया गया तलाक जायज़ नहीं है। जबकि नियम 112 के तहत् पत्नी भी पति को तलाक दे सकती है। पत्नी द्वारा पति को दिए जाने वाले इस तलाक को ''जिहर'' या 'खुला'' कहा जाता है। अदालत के जरिए भी तलाक लिया जा सकता है।

तलाक के प्रकार

तलाक अहसन : इस तरह के तलाक में एक बार ही तलाक कहने की जरूरत होती है। इसमें शौहर बीवी को तुहर के वक़्त (जब माहवारी न हो) तलाक दे। साथ ही उन दोनों के बीच इद्दत के दौरान कोई जिस्मानी रिश्ता न हुआ हो।

तलाक हसन : इस तरह के तलाक में तीन बार तलाक कहने की जरूरत होती है। तीनों तलाक तुहर के वक़्त (जब माहवारी न हो) दी जानी चाहिए। इसमतें मियां–बीवी के बीच सुलह समझौता करने का समय मिल जाता है।

मुबारत : यदि मियां–बीवी के बीच आपसी समझौते से तलाक हुआ हो,तो उसे मुबारत कहते है।

खुला : यदि बीवी मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 2 के तहत् दिए गए हालातों में तलाक लेती है, तो उसे खुला कहते है।

हालात जिनमें 'खुला' लिया जा सकता है :–

मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 2 के अनुसार मुस्लिम महिला दिए गए हालातों में तलाक ले सकती हैः–

- शौहर चार सालों से लापता हो।
- शौहर ने दो सालों से उसके नफ़्का (भरण पोषण) नहीं दिया हो।
- शौहर को 7 साल या उससे अधिक वक़्त की जेल की सज़ा मिली हो।
- बिना किसी जायज वजह के शौहर ने तीन सालों से शादीशुदा रिश्ते की जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रहा हो।
- शौहर शादी के वक़्त नपुंसक या नामर्द था और ऐसा ही (नामर्द) होना जारी है।
- शौहर दो सालों से पागल है, या 15 सालों से कुष्ठ (कौढ़) रोग से, या खतरनाक यौन रोग से पीड़ित है।
- मां–बाप या सरपरस्त ने लड़की की शादी उसके नाबालिग होने की उम्र में करवा दी हो।
- शौहर उसके साथ जालिमाना सुलूक करता हो जैसे–

1. मारपीट करता हो।

2. बीवी को अनैतिक काम करने पर मजबूर करे।

3. बीवी को उसकी जायदाद से महरूम करता हो।

4. बदनाम औरत के साथ रहता हो।

5. उसके मजहबी कामों में रूकावट डालता हो।

6. जैसा कि कुरान में कहा गया है, एक से ज्यादा बीवियां होने पर उनके साथ बराबरी का सूलुक करने में नाकाम हो।

इसके अलावा अदालत किसी भी वाजिब वजह के तहत् खुला लेने का फैसला दे सकती है।

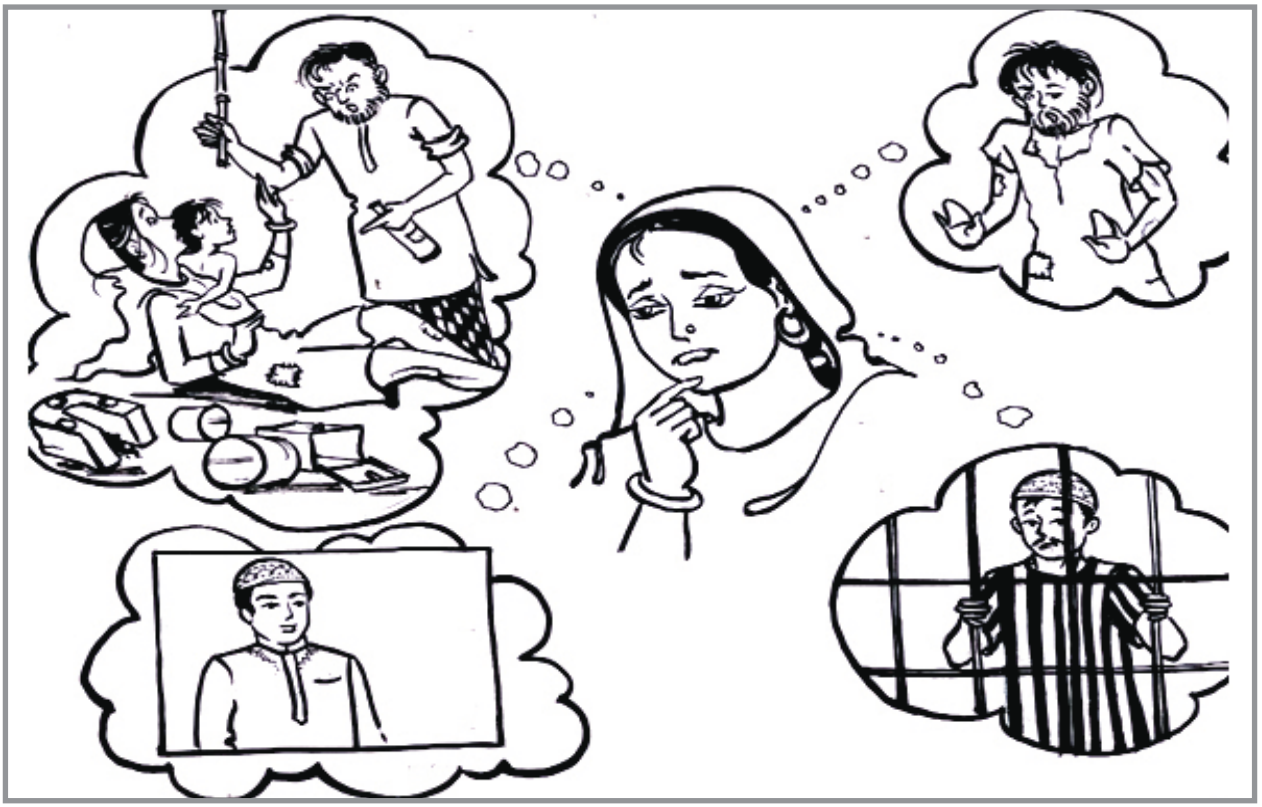

इद्दत

मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 2 के तहत् कहा गया है, कि

इद्दत वह दरमियानी वक़्त है

- लगातार तीन माहवारी
- बीवी माहवारी से न हो, तो तीन महिने।
- यदि तलाक के वक़्त महिला हमल (गर्भवती) हो, तो डिलेवरी होने तक।
- या तलाक के वक़्त महिला हमल (गर्भवती) हो, तो हमल गिरने तक जो भी पहले हो।

इद्दत के दौरान औरत दूसरा निकाह नहीं कर सकती। मुस्लिम कानून के मुताबिक मियां–बीवी के बीच तलाक

तभी पूरा माना जाता है, जब बीवी इद्दत का वक़्त पूरा करें। इसका मतलब यह है तलाक के बाद तीन महीने तक मियां–बीवी के बीच कोई भी जिस्मानी रिश्ता नहीं रहना चाहिए। यदि इन तीन महिनों में मियां–बीवी के बीच जिस्मानी रिश्ता कायम हो जाए, तो तलाक नहीं माना जाएगा।

इद्दत के दौरान हक़

इद्दत के दौरान बीवी को नफ़का (भरण–पोषण का खर्चा) उसके शौहर द्वारा दिया जाता है। अगर इद्दत के दौरान शौहर नफ़का न दे, तो महिला मजिस्ट्रेट को आवेदन देकर अपना हक़ पा सकती है। जिस पर मजिस्ट्रेट को एक महिने के अंदर फैसला देना होगा।

तलाक के समय मिलने वाला हक

मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत्

- महिला को निकाह के वक़्त तय किया गया मेहर लेने का हक़ है।
- महिला को अपना दहेज वापस पाने का हक़ है।
- वह सारा सामान और तोहफे जो कि निकाह में लड़की को अपने मायके वालों से, दोस्तों, शौहर से, और शौहर के दोस्तों व रिश्तेदारों से मिला हो पाने का हक़ है।
- यदि महिला तलाक के समय हमल हो, तो डिलेवरी का खर्चा पति को उठाना होगा। साथ ही जब तक बच्चा दो साल का न हो जाए तब तक बच्चे की परवरिश के सारे खर्चे भी उसके पिता को उठाने होगे।
- अगर शौहर और बीवी एक जगह न हो, तो बीवी अपने मेहर की रकम पाने के लिए किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदारी दे सकती है। जो कि उसका मेहर लाकर उसे दे दें।

यदि शौहर अदालत की नाफरमानी करे,तो उसके खिलाफ वारंट जारी किया जा सकता है। अदालत शौहर पर जुर्माना भी लगा सकती है।

महिला द्वारा फिर से निकाह

निकाह टूटने के बाद महिला द्वारा इद्दत का वक़्त पूरा होने के बाद महिला किसी अन्य व्यक्ति से निकाह कर सकती है। तलाक की इद्दत का समय 3 महिने है, वहीं यदि शौहर की मौत हो गई हो, तो इद्दत का समय 4 माह 10 दिन होता है। यानी शौहर की मौत होने पर 4 माह 10 दिन के बाद महिला फिर से निकाह कर सकती है।

मुस्लिम महिला व बच्चों के भरण–पोषण के लिए कायदें

यदि मुस्लिम महिला किसी वजह से शौहर के साथ न रह रही हो, तो वह अपना और अपने बच्चों का नफ्का पाने के लिए धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् और घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत् दावा कर सकती है। यह दावा वह जहां रह रही हो, उस जिले के पारिवारिक न्यायालय में या न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के समक्ष अपना व अपने बच्चों का नफ्का पाने के लिए दावा दायर कर सकती है और नफ्का पा सकती है।

तलाक के बाद बच्चों की देखभाल (संरक्षक) 5

मां–बाप के जिंदा न रहने पर या उनकी तलाक हो जाने पर बच्चों की परवरिश की कौन करेगा, यह तय करने के लिये गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट 1890 के नाम से एक कानून बनाया गया है। मुस्लिम कानून के तहत् बच्चे को बालिग करार करने के दो तरीके है।

- उच्च मुस्लिम तरीका–उच्च मुस्लिम तरीके के तहत् एक व्यक्ति के बालिग होने की उम्र 15 साल मानी गयी है। जिसे केवल मुस्लिम शादी, मेहर और तलाक के लिये जायज़ माना गया है।
- भारतीय व्यस्कता अधिनियम 1875 निकाय के अनुसार 18 साल की उम्र पूरी करने पर बालिग माना जाएगा।

मुस्लिम कानून के अनुसार संरक्षक

मुस्लिम कानून में वली या संरक्षको की मान्यता हैः–

कुदरती वली

मुस्लिम कानून में पिता को बच्चे का एक कुदरती वली माना जाता है। बाप की गैर मौजूदगी में पिता की जिम्मेदारी को पूरा करने वाला बच्चे का संरक्षक हो सकता है। शिया मुस्लिम कानून में पिता की गैरमौजूदगी में केवल पिता के पक्ष के दादा ही प्राकृतिक अथवा कानूनी संरक्षक की तरह से काम कर सकते है।

वसीयत द्वारा तय वली

वसीयत द्वारा तय संरक्षक ऐसा व्यक्ति होता, जो कि किसी नाबालिग का संरक्षक किसी वसीयत के अनुसार तय किया गया होता है। केवल पिता और पिता की गैर मौजूदगी में दादा के पास ही वसीयती संरक्षक नियुक्त करने का अधिकार होता है। एक गैर मुस्लिम आदमी या औरत को भी वसीयत से संरक्षक नियुक्त किया जा सकता है।

कानून या न्यायलय से मुकर्रर वली

कुदरती वली या वसीयती संरक्षक की गैर मौजूदगी में न्यायलय के पास यह अधिकार होता है, कि वह ऐसे नाबालिग व्यक्ति का या उसकी सम्पत्ति का अथवा दोनों का संरक्षक नियुक्त कर सकती है।

मां बाप के जिंदा रहने पर यदि उनके बीच बच्चे के संरक्षण का मसला हो, तो अदालत बच्चे की बेहतरी को देखते हुए यह तय कर सकती है, कि बच्चा किसके पास रहे। बच्चे कि बेहतरी से मतलब है, कि मां या बाप में से कौन बच्चे की बेहतर देखभाल कर सकता है। जिसमें बच्चे के खर्च, जज़्बातों और प्यार से ख्याल उसका रखने से है। यदि मां की कोई आमदनी न हो,तो तब भी अगर अदालत को लगता है कि बच्चे की बेहतरी मां के साथ रहने में है। तो बच्चा मां के साथ ही रहेगा और उसकी परवरिश का खर्चा बाप को उठाना पड़ेगा। भले ही वह बच्चे के साथ न रह रहा हो।

ऐसी नियुक्ति संरक्षक एवं निगरानीकर्ता अधिनियम (गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट) 1890 के अनुसार होगी।

खुद से मुकर्रर सरपरस्त या वली

कोई इंसान जब खुद से ही किसी बच्चे को अपनी सरपरस्ती में मान ले, तो उसे खुद से मुकर्रर वली कहले है। ऐसा शख्स ना तो कानूनी वली होता है, न वसीयती वली होता है।

मां को बच्चे की सरपरस्ती का हक

मुस्लिम कानून के इदारों (विचारधाराओं) में यह कायदा है, कि बच्चा अपनी मां के साथ बालिग होने तक रह सकता है और मां का बच्चे पर जायज़ हक़ है। क्योंकि यह माना जाता है, कि बच्चे के अपनी मां के साथ बहुत खास ज़ेहानी (मानसिक) और जज़्बाती (भावनात्मक) रिश्ता होता है। इस वजह से मां सबसे बेहतर सरपरस्त होती है। जो बच्चे को प्यार और दुलार दे सकती है, जिसकी जरूरत छोटी उम्र के बच्चों को खासतौर से होती है। मां के पास बेटे की हिरासत (अभिरक्षा) का हक उसकी सात साल की उम्र तक होता है। जबकि मां को बेटी की अभिरक्षा का हक 15 साल की उम्र तक होता है। एक मां अपने बच्चे की अभिरक्षा हासिल करने का हक है।

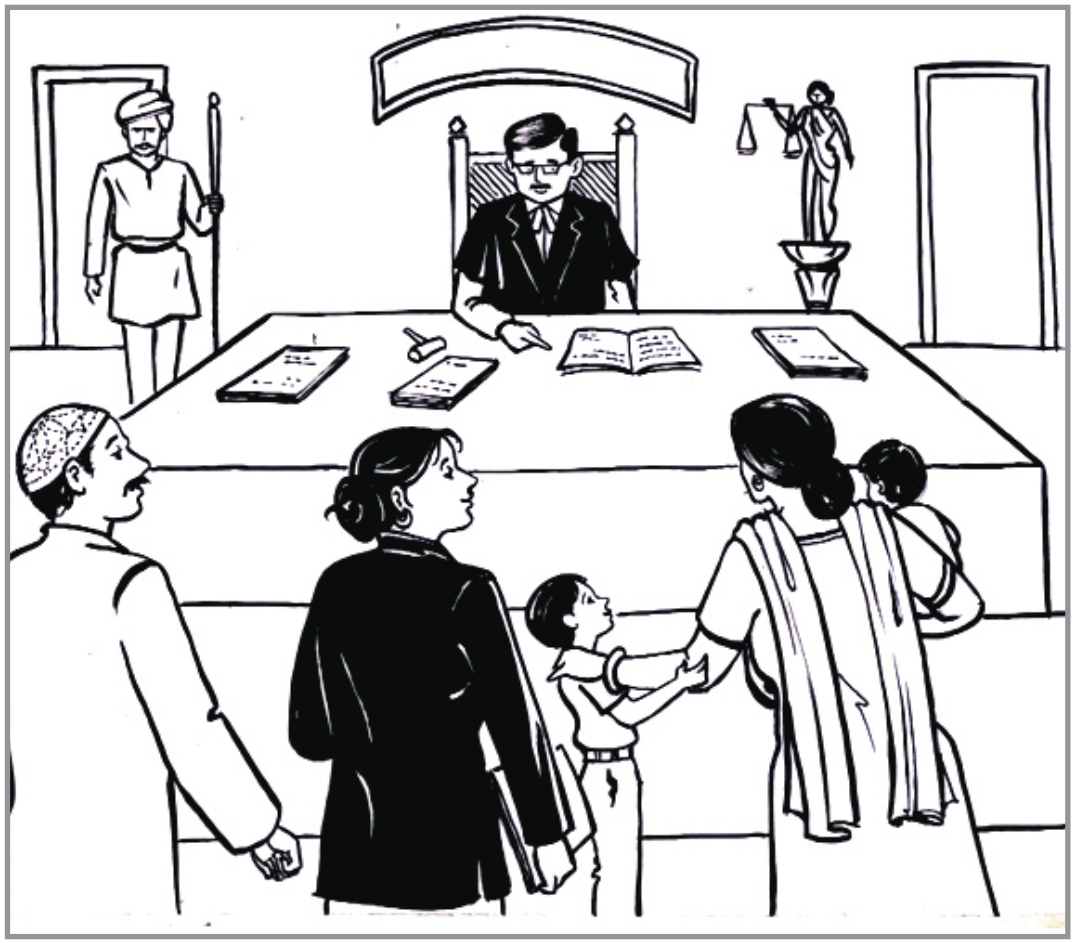

पिता को बच्चे की सरपरस्ती पाने का हक

पिता केवल मां की गैर मौजूदगी या उसकी किसी नाकाबिलियत की वजह से अपने बेटे का 7 साल की उम्र से पहले और बेटी का बालिग होने की उम्र 15 साल से पहले सरपरस्ती पा सकता है। यदि बच्चा या बच्ची ऐसी उम्र से

अधिक के है, तो पिता तब तक सरपरस्त होगा जब तक कि बच्चा 18 साल की उम्र पूरी न कर ले।

पिता की गैर मौजूदगी मे उसके खानदान के मर्द द्वारा बच्चे की सरपरस्ती की जाएगी। तरजीह के मुताबिक सरपरस्ती मिल सकती है।

1. पिता
2. सगा भाई
3. सगे भाई का बेटा
4. पिता का सगा भाई
5. पिता के खूनी रिश्ते वाला भाई
6. पिता के भाई का बेटा
7. पिता के खूनी रिश्ते के भाई का बेटा

अदालत द्वारा सरपरस्ती पाने का हक

- तलाक के बाद यदि संतान की उम्र 5 साल से कम हो, तो बच्चे को पालने व देखभाल का कानूनी हक मां को ही मिलता है।
- 5 साल के बाद बच्चा किसके साथ रहेगा, इसका निर्णय अदालत उस बच्चे के भविष्य को ध्यान में रख कर करती है।
- अगर बच्चा अपनी मां के पास रहना चाहे, तो अदालत मां को ही बच्चे की परवरिश का हक देगी। ऐसे हालात में बाप को बच्चे की परवरिश का उठाना पड़ेगा।
- अदालत नाबालिग बच्चों और उसकी जायदाद की हिफाज़त के लिए वली नियुक्त कर सकती है, जो अदालत के प्रति जबावदेह रहता है।
- कोई भी मर्द किसी ऐसी कुंवारी लड़की का वली नहीं हो सकता है। जिससे की उस लड़की की शादी हो सकती हो।

मुस्लिम सम्पत्ति एवं उत्तराधिकार 6

इस्लाम में वारिसियत

भारत में मुस्लिम कानून खासतौर से दो तरीको से चलता है, हनफी और शिया कानून। मुस्लिम जायदाद के हक़ इन्ही तरीको में से निकाले गये है जो कि, औरत और मर्द के रिश्ते के तर्ज पर लागू किये जाते है। हनफी मसलक (पद्धति) के अनुसार केवल वे वारिस माने जाते है, जिनकी रिश्तेदारी मरहूम से किसी आदमी के जरिये से हो। जबकि शिया मसलक (पद्धति) में औरत और मर्द दोनों के जरिए से होने वाले रिश्तेदार भी मरहूम के वारिस होते है।

इस्लामिक सुधारों से पहले मुस्लिम कानून

- महिलाए वारिस नही हो सकती थी।
- खूनी रिश्ते से जुड़े पुरूष रिश्तेदार ही जायदाद पर हक पा सकते थे।

इस्लामिक सुधारों से बाद मुस्लिम कानून

- महिलाओं को जमीन में वारिस का हक था, क्योंकि कुरान ने नई प्रकार के कानूनी वारीसों को जैसे औरतों और बूढ़ों को जोड़ दिया था।
- शौहर और बीवी एक–दूसरे के कानूनी वारीस बना दिए गये।
- मां–बाप, नाना–नानी और दादा–दादी को भी अपने वारिसों की जायदाद में से हक मिल गया।
- अमूमन जायदाद में औरत का हिस्सा मर्द के हिस्से का आधा होता है।

वारिस होने के मायने

वारिसियत वह रिवायत है, जिसके द्वारा किसी शख्स को मरहूम की जमीन और जायदाद का हक मिलता है। किसी मरहूम की जमीन और जायदाद का वारिस या तो वसीयत द्वारा और या फिर बिना वसीयत के हो सकता है। मुस्लिम विधि में वारिस बाबत् कायदे 215 से 248 तक में लिखा गया है, जिसकी खास बातें इस तरह हैः–

- वसीयत के द्वारा वारिस
- इसमें वारिस वसीयत के जरीये मुकर्रर होता है।
- बिना वसीयत के वारिस

जब वसीयत न हो, तो जायदाद को कानूनी तौर पर मरहूम के सभी कानूनी वारिसों के बीच बांटा जाता था। मुस्लिम व्यक्ति के मरने के बाद तीन ऐसी स्थितियां थी। जिनमें जायदाद का बंटवारा किया जाता था पहले मामले में जायदाद को किसी तरह के सरकारी कर्ज के लिए और साथ ही साथ मरहूम की आखिरी सफर के खर्च के लिए दूसरे मामले में इसे मरहूम की वसीयत के अनुसार बांटने के लिए। तीसरे मामले में बची जायदाद वारिस मुतालिक जायदाद कहलाती थी, यह पुश्तैनी जायदाद होती है।

क्या मुस्लिम वारिसयत में पैदाइशी हक़ मिलता है?

मुस्लिम कानून में अनुसार जायदाद में पैदाइशी(जन्मजात) हक़ होना नहीं माना जाता है। इस मामले में कई कायदे है, जिनको मानना चाहिए। वारिसियत आम तौर पर हालातों की मांग पर निर्भर करता है। मरहूम (स्वर्गीय) से रिश्ते की नजदीकी के तर्ज पर जायदाद में हिस्सेदारी मिलती है। कोई भी मुसलमान किसी जिंदा व्यक्ति का वारिस नही हो सकता है।

क्या मुस्लिम कानून बडे बेटे को अधिक अधिकार देने की मान्यता देती है?

मुस्लिम कानून जायदाद पर सभी बेटों को एक समान हक देता है। शिया कानून की यह खासियत है, कि हजस में यह कहा गया है। यदि सबसे बडा बेटा तंदरूस्त दिमाग का है। तो वह पिता की जायदाद से कपडे, तलवार ,अंगूठी और कुरान उत्तराधिकार में प्राप्त करता है।

क्या अजन्मे और सौतेले बच्चों के पास वारिस का हक होता है?

सौतेले बच्चे अपने सौतेले मां–बाप के वारिस नहीं हो सकते। साथ ही सौतेले मां–बाप भी अपने सौतेले बच्चों के वारिस नहीं हो सकते। एक पिता और कई माताओं की सन्तान और एक माता और कई पिता की सन्तान एक दूसरे से वारिसियत का हक पा कर सकते है। मरहूम से संबंध आधार पर अजन्में बच्चों के पास भी वारिस का हक होता है। शर्त यह है, कि वे जिंदा पैदा हो।

क्या एक लापता इंसान की जायदाद का वारिस मुमकिन है?

हनफी मसलक के कानून के अनुसार यह कहा जाता था लापता इंसान को मरहूम माना जा सकता है। शर्त यह है, कि वह इंसान 90 साल से ज्यादा उम्र का हो चुका हो, इनके बाद जायदाद को वारिस के लायक माना जा सकता था। हालांकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार इस तरह के हालातों के बारे में कहा गया है, कि यदि कोई मुस्लमान 7 साल से ज्यादा समय तक लापता रहता है, तो यह साबित नहीं किया जा सकता कि वह जिंदा है। इसलिए वह इंसान कानून की नजर में मरहूम माना जाएगा और उनकी जायदाद के लिए वारिस तय किया जा सकता है।

लेकिन जब एक मुस्लिम व्यक्ति विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत् शादी करता है। तो उनकी जायदाद को मुस्लिम कानून के तहत् नहीं माना जाएगा। उस जायदाद को भारतीय उत्तराधिकार कानून 1925 के तहत् नियन्त्रित किया जाता है।

ऐसे व्यक्ति जो जायदाद के हक के वारिस से महरूम(वंचित) होते है

कोई मुस्लिम व्यक्ति क़त्ल कर देता है, तो वह वारिस बनने के हक से महरूम हो जाता है। चाहे वह कत्ल सोच–समझ कर करें या गलती से किया गया हो ।

एक वह व्यक्ति जो नाजायज औलाद हैं, वह अपने पिता की जायदाद में वारिस नहीं माना जा सकता है, लेकिन वह अपनी मां की जायदाद में से वारिस का हक हासिल कर सकता है।

वह व्यक्ति जो वारिस होने की पात्रता रखते हैं

- ऐसे इंसान जो जिस्मानी तौर पर अपंग हैं।

- कानूनी रूप से ऐसी औरत भी जायदाद पर हक पा सकती है जिससे मरहूम के नाजायज़ ताल्लुकात रहे हो।

क्या एक इंसान वारिस बन सकता है। यदि उसने या मरहूम ने इस्लाम छोड़कर कोई और मजहब अपना लिया हो?

किसी वारिस का मजहब बदल लेना उसे जायदाद की वारिसियत से बेदखल करने की बुनियाद(आधार) नहीं हो सकती है। मजहब बदलने वाले इंसान को मुस्लिम कानूनों के तहत् ही जायदाद के हक मिलेगें जैसे कि उसे मुस्लमान रहते हुए मिलते। इस तरह एक इंसान जो मुस्लिम नहीं रह जाता है, इसके बावजूद भी वह अपने मुस्लिम रिश्तेदारों से जायदाद का हक पा सकता है।

क्या मुस्लिम औरतों को जायदाद का हक है?

भारत में मुस्लिम कानून के मुताबिक मुस्लिम औरतें जायदाद में हक़ रखती है। औरतों का जायदाद में हक होता है। हालांकि मुस्लिम मर्दों के बराबर नही होता है। आमतौर पर मर्द का हिस्सा औरत के हिस्से का दोगुना होता है। औरत अपने पति से मेहर और नफ़्का पाने की हकदार होती है।

मुस्लिम कानून के मुताबिक किसी इंसान की जायदाद में उसके सभी करीबी रिश्तेदारों का भी बराबर का हिस्सा होता है।

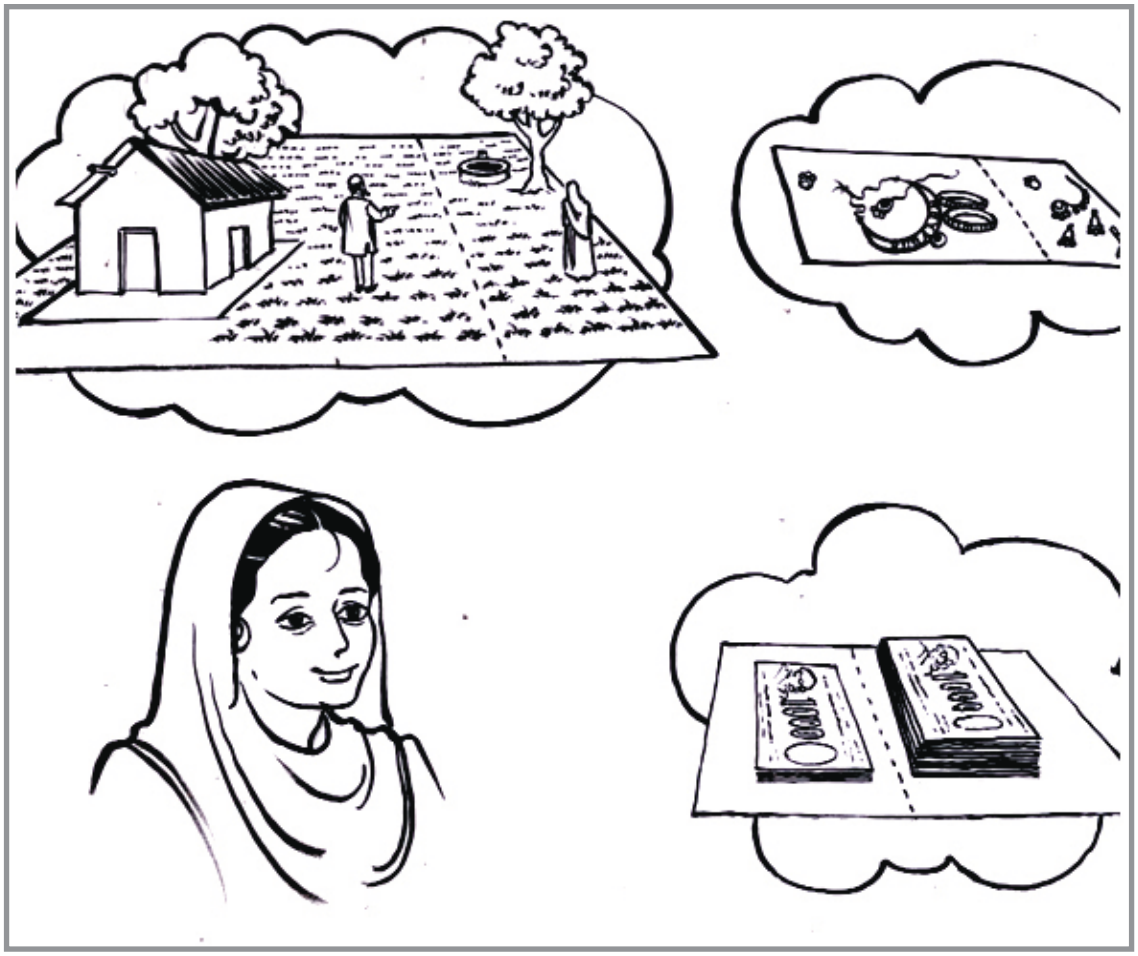

एक औरत को जायदाद में मिलने वाले हक

बेटी को जायदाद में हक एक औरत को बेटी के रूप में अपने पिता की जायदाद का आधा हिस्सा मिलेगा, अगर उसका कोई भाई नहीं हो या उसके भाई को नाकाबिल ठहराया गया हो। यदि उसका भाई हो,तो उसे अपने भाई के हिस्से का आधा हिस्सा मिलेगा, यानि कि कुल जायदाद का चौथाई भाग मिलेगा।

एक बेवा को जायदाद में हक

- अगर बेवा औरत के कोई औलाद न हो,तो उसे पति की जायदाद का एक चौथाई हिस्सा ही मिल सकेगा।
- अगर बेवा औरत के कोई औलाद हो, तो उसे जायदाद का आठवां हिस्सा मिलेगा।

मां को जायदाद में हक

- मां को बेटे की जायदाद का 6वां हिस्सा मिलेगा।
- अगर बेटे की कोई औलाद न हो,तो जायदाद का एक–तिहाई हिस्सा मिलेगा।

दादी या नानी के रूप में जायदाद पर हक

- नानी के रूप में औरत को जायदाद में हिस्सा तभी मिलेगा, जबकि मरहूम की मां या नाना जिंदा न हो।
- दादी के रूप में जायदाद का हकदार किसी औरत को तब माना जायेगा, जबकि मरहूम के पिता या दादा जिंदा न हो।

मुस्लिम महिलाएं तीन तरीकों से जायदाद पा सकती है

- वारिसियत से
- मेहर या दहेज से
- हिबा या दान से

वसीयत 7

मुस्लिम कानून में नियम 184 से 201 तक वसीयत के बारे में उल्लेख है, जिसके अनुसार वसीयत बनाने से संबंधित कायदे इस प्रकार हैः–

मुस्लिम कानून में वसीयत बनाने का तरीका

एक वसीयत बोलकर या लिखकर बनाई जा सकती है। दोनों वसीयत मान्य है। लिखित मुस्लिम वसीयत पर हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं है। यदि वसीयत पर हस्ताक्षर हो, तो प्रमाणित होना आवश्यक नही है। इसकी वजह यह है, वसीयत बोलकर भी की जा सकती है। बोलकर की गयी वसीयत को साबित करना आसान नहीं फिर भी उसको साबित करने के सबूत हो सकते है। अदालत को यह यकीन होना चाहिए कि वसीयत सही है। और वसीयत करने वाले का इरादा बिलकुल साफ हो।

मुस्लिम कानून में महिला को वसीयत का अधिकार

- एक मुस्लिम महिला अपनी सम्पत्ति के एक तिहाई हिस्से से ज्यादा की वसीयत नहीं बना सकती।
- अगर किसी मुस्लिम महिला का पति उसकी जायदाद का अकेला वारिस हो, तो महिला अपनी जायदाद के सिर्फ दो तिहाई हिस्से की वसीयत ही बना सकती है।
- मुस्लिम महिला अपनी वसीयत के एक तिहाई हिस्से से ज्यादा की वसीयत तभी बना सकती है, जब उस जायदाद के सभी वारिस उस पर एकराय हों।

वसीयत में क्या–क्या लिखें

- वसीयत करने वाली का पूरा नाम
- अपने पिता या पति का पूरा नाम
- अपना पूरा पता
- अपनी जायदाद का पूरा ब्यौरा
- अपने वारिस जिसे जायदाद देना चाहती है, उसका पूरा नाम और पता
- वसीयत बनाने की तारिख
- वसीयत करने वाले के दस्तखत
- दो गवाह, जिनकी मौजूदगी में वसीयत लिखी गई हो।
- यह जरूर लिखें, कि आपने यह वसीयत पूरे होश–हवास में और बिना किसी दबाव के लिखी है।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961

8

इस कानून की धारा 9 में नियम बनाने की शक्ति है। जिसके तहत् यह नियम बनाया गया है, जो दहेज प्रतिषेध वर–वधू भेंट सूची नियम 1985 कहलाता है।

इस नियम में यह दिया गया है, कि जब भी दहेज संबंधी लेन–देन एक कानूनी रूप लेता है, तो कोई भी पक्षकार न्यायालय में दहेज संबंधी लेन–देन साबित कर सकता है। इस नियम के अनुसार शादी के वक़्त जो तोहफे (भेंट) दिए जाते है, उनकी फेहरिस्त(सूची) तैयार की जाए जिसकी एक–एक फोटोकॉपी लड़का–लड़की दोनों रखेगें। यह फेहरिस्त शादी के वक़्त या उसके बाद जल्दी से जल्दी तैयार की जाएगी, जो कि लिखित में होगी। इसमें हर तोहफे का ब्यौरा (विवरण) होगा जैसे–तारीख, तोहफे की कीमत, उस व्यक्ति का नाम जिसने तोहफा दिया है, अगर वह व्यक्ति दूल्हा या दूल्हन का नातेदार है तो उसकी नातेदारी का ब्यौरा भी लिखा जाएगा।

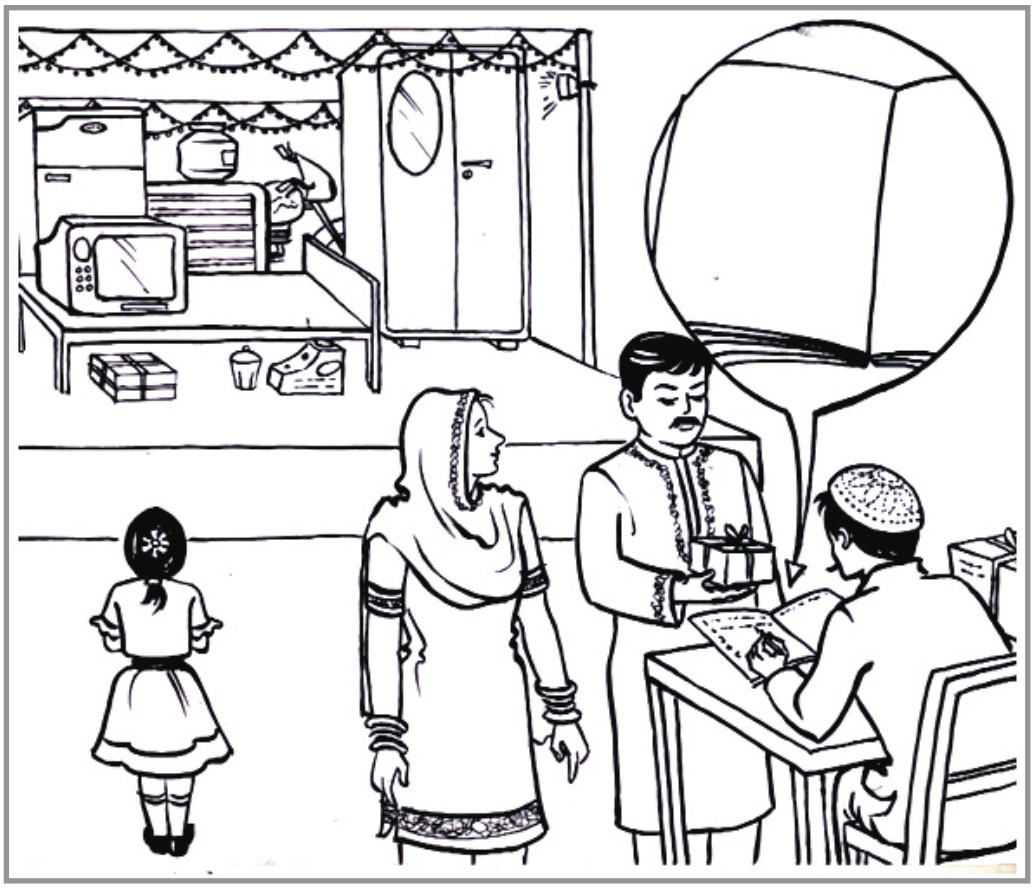

दूल्हा–दूल्हन दोनों के अंगूठे या दस्तखत भी उस फेहरिस्त पर होगें। यदि दूल्हा या दूल्हन विकलांग है या देख नहीं सकते तो उन्हें किसी व्यक्ति द्वारा पढ़कर सुनाया जाएगा व दस्तखत या अंगूठा लगवाया जाएगा। फेहरिस्त की तस्दीक(प्रमाणित) करने वाले व्यक्ति के भी दस्तखत उस फेहरिस्त पर होगें। सभी धर्मो पर इस कायदे की पाबंदी होगी। यह कानून इसलिए बनाएं गए है कि दहेज से जुड़े किसी भी बातपर कोई मसला(विवाद) खड़ा न हो और अगर कोई मसला खड़ा होता है, तो इस कानून के तहत् बनी दहेज की फेहरिस्त काम आए।

विशेष विवाह अधिनियम 1954

9

जब एक ही मजहब को मानने वाले लड़का और लड़की शादी करते है, तो वे अपने मजहब के कायदों के अनुसार शादी कर सकते हैं। लेकिन जब लड़का और लड़की अलग–अलग मजहब को मानते हो, साथ ही शादी के लिए वो अपना मजहब भी बदलना नहीं चाहते हो, तो उनकी शादी ''विशेष विवाह अधिनियम 1954'' के तहत् हो सकती है। इस तरह की शादी करने के लिए यह मायने नहीं रखता की शादी करने वाले व्यक्ति कौन से मजहब को मानते है। साथ ही इस कानून के तहत् अलग–अलग जातियों के लोग और भारत के बाहर रह रहे हिंदूस्तानी भी शादी कर सकते हैं।

''विशेष विवाह अधिनियम 1954'' के तहत् शादी के लिए जरूरी है

- लड़का या लड़की या जो भी इस कानून के तहत् शादी कर रहे हैं, पहले से शादीशुदा न हो।
- तलाकशुदा व्यक्ति इस कानून के तहत् शादी कर सकते हैं।
- बेवा या जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया हो, वो भी इस कानून के तहत् शादी कर सकते हैं।
- दिमागी रूप से तंदरूसत हो, जिससे वो शादी के लिए रजामंदी दे सके।
- लड़का या लड़की किसी ऐसी बीमारी का शिकार न हो, जिससे कि वो शादी को निभाने और मुक्कमल(संतानोत्पत्ति)न कर सके।
- शादी करने वाले बालिग हो, जिसके लिए लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होना जरूरी है।
- लड़का और लड़की के बीच कोई करीबी खूनी रिश्तेदारी नहीं होनी चाहिए। इन लोगों से शादी नहीं हो सकती–मां,बाप, भाई, बहन, भांजा, भांजी, भतीजा, भतीजी, नाना, नानी, दादा, दादी।

''विशेष विवाह अधिनियम 1954'' के तहत् शादी कैसे होती है

इस कानून के तहत् शादी को एक कॉन्ट्रेक्ट माना जाता है। इस कारण किसी धार्मिक रीति–रिवाज़ को निभाने की जरूरत नहीं होती है। जिस भी जिले में आप रहते हो, या कम से कम 1 महिने से रह रहे हो, उस जिले के विवाह पंजीयन अधिकारी को खास फॉर्मेट में आवेदन या अर्जी दे सकते हैं। इस अर्जी में शादी करने की इच्छा रखने वाले का नाम, पता, उम्र, क्या काम करते है के बारे में पूरा ब्यौरा देना होता है। आवेदन के बाद विवाह पंजीयन अधिकारी शादी के बारे में नोटिस जाहिर करेगें। यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो, तो वो 30 दिन के अंदर शिकायत और दावा कर सकते है। नोटिस जाहिर करने के एक महिने बाद शादी करवाई जा सकती है। नोटिस का समय पूरा होने के दो महिनों के अंदर शादी करना जरूरी है। अगर दो महिनों के दरमियान शादी न हो सके, तो फिर से अर्जी लगानी पड़ेगी।

विवाह पंजीयन दफ्तर में या और किसी भी जगह पर शादी करवाई जा सकती है। विवाह पंजीयन अधिकारी और तीन गवाहों की मौजूदगी में लड़का–लड़की यह मानते है, कि वे एक–दूसरे (नाम लेकर) को कानूनी रूप से अपना शौहर या बीवी मानते है। इसके बाद विवाह अधिकारी अपने रजिस्टर में दूल्हा–दूल्हन और तीनों गवाहों के दस्तखत ले लेते हैं।

मुस्लिम उत्तराधिकार कानून में याद करने योग्य बातें

10

- वारिस को केवल मरहूम की मौत के बाद के बाद ही जायदाद में हक मिलता है।
- चल और अचल जायदाद को लेकर कोई अन्तर नही किया जाता है। और न ही पुश्तैनी जायदाद और खुद कमाई गई जायदाद में कोई फर्क नहीं किया जाता है।
- संयुक्त परिवार का विचार मुस्लिम समुदाय में प्रचलित नही हैं। जब एक मुस्लमान मरता है, तो उसकी जायदाद में से उसके कानूनी वारिसों को जायदाद मिलती है।
- यदि सभी वारिसों जो जायदाद में से हक मांग कर रहे है और वे सभी मरहूम से बराबर के नजदीकी रिश्तेदार हो, तो सबका बराबर का हिस्सा होगा।
- नजदीकी वारिस के होने पर दूर के वारिस का हक खत्म हो जाता है।
- मुस्लिम कानून में बडे बेटे को जायदाद में ज्यादा हक देने को मान्यता नही है।
- हिस्सेदार वे होते है, जो पहले से तय हिस्से के वारिस होते है। हिस्सेदार अपने वाजिब हिस्से को मरहूम के सुपुर्दे खाक़(अंतिम संस्कार) करने के खर्चो, उनके कर्जो और किसी वसीयत में दी गई जायदाद इत्यादि के निपटने के बाद पा सकते है। नजदीकी और दूर की रिश्तेदारी के तहत् वारिसों को हिस्स्देदारी मिलेगी।
- सौतेले बच्चे अपने सौतेले मां–बाप से और सौतेले मां–बाप अपने सौतेले बच्चों के वारिस नहीं हो सकते।
- नाजायज़ औलाद अपनी मां के वारिस हो सकते है। और मां के अन्य रिश्तेदारों की जायदाद में से भी हिस्सा पा सकते है।
- यदि एक मुस्लिम 7 सालों तके लापता रहता है, उसे ही यह साबित करना होगा कि वह जिंदा है। जब यह पक्का हो जाएगा किवह जिंदा है तभी उसे वारिस माना जाएगा।
- मुस्लिम कानून में बेटा और बेटियों को किसी दूसरे वारिस द्वारा नाकाबिल नहीं ठहराया जा सकता है।
- यदि किसी व्यक्ति की एक से ज्यादा बीबियां हो तो उसकी मौत के बाद सभी बीवियों को जायदाद का आठवां हिस्सा मिलेगा। इस हिस्से को सभी बेवाओं में बराबर–बराबर बांटा जाएगा।